निबंधन संख्या पी0टी0-40




# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**8 कार्तिक 1948 (श0)**

**(सं0 पटना 1344) पटना, शुक्रवार, 30 अक्तूबर 2026**

वाणिज्य–कर विभाग

### अधिसूचना

**30 अक्तूबर 2026**

एस० ओ० 235, दिनांक 30 अक्तूबर 2026— बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या– एस0ओ0 110 दिनांक 06 मई 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 267, दिनांक 06.05.2020, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, "किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को या निर्यात के लिए माल या सेवा या दोनों की प्रदाय के संबंध में" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(i) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवा या दोनों की प्रदाय;

(ii) निर्यात के लिए माल या सेवा या दोनों की प्रदाय;

(iii) किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त माल या सेवा या दोनों की ऐसी प्रदाय, जिस पर कर का संदाय ऐसे माल या सेवा या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर किया जाना है; या

(iv) सेवाओं का आयात,

के संबंध में,"।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2027 को प्रवृत्त होगी।

**[(सं०सं०–बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017(खंड–22) 4168)]**
**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**
**संजय कुमार सिंह,**
**राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।**

**30 अक्तूबर 2026**

एस० ओ० 235, दिनांक 30 अक्तूबर 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

**[(सं०सं०– बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017 (खंड–22) 4168)]**
**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**
**संजय कुमार सिंह,**
**राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।**

---

***The 30th October 2026***

S.O. 235, Dated 30th October 2026— In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Bihar Goods and Services Tax Rule, 2017, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 110 Dated 6th May 2020, published in the Bihar Gazette, extraordinary, vide number 267 dated 6th May 2020, namely:

In the said notification, in the first paragraph, for the words "in respect of supply of goods or services or both to a registered person or for exports", the following shall be substituted, namely: -

"in respect of, -

(i) supply of goods or services or both to a registered person; or
(ii) supply of goods or services or both for exports;
(iii) supply of goods or services or both received from an unregistered person where the tax is payable on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both; or
(iv) import of services".

2. This notification shall come into force on the first day of January, 2027.

**[(File No Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-22) 4168)]**
**By the order of Governor of Bihar,**
**SANJAY KUMAR SINGH,**
***Commissioner State Tax-cum-Secretary.***

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1344-571+10-डी0टी0पी0।
**Website: https://egazette.bihar.gov.in**